वाद सं०- 36/23 144crpc

त्रिभुवन साव बनाम जीवाधन महतो

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
18/5/23	**आदेश**	

आदेश

यह वाद आवेदक त्रिभुवन साव पे० कारू साव, साकिन–अटका, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के त्रिभुवन साव बनाम द्वितीय पक्ष के जीवाधन महतो वगै० को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द०प्र०सं० की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा– अटका, थाना–बगोदर, जिला– गिरिडीह अंतर्गत, खाता नं०–315, प्लॉट नं०–4130, रकवा–05 डी० मध्ये 03 डी० तीन भाग में, चौहद्दीः उ०–दशरथ महतो, द०–मकान प्रथम पक्ष, पू०–रास्ता, प०–वासुदेव महतो।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने व उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द०प्र०सं० के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी 18/5/23
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.08.24 12:10:46 +05:30
Location: 192.168.1.12